# छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 490021

दूरभाष क्र. –0771–4048788 फैक्सः 4073553

**www.cserc.gov.in,** ई-मेल: **cserc.sec.cg@nic.in**


**याचिका क्र. 86/2026**

**विषयः–अभ्यावेदन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (142) एवं (146) के अंतर्गत आयोग द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन व विद्युत लोकपाल के प्रकरण क्रं. 21/2024 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2024 का अनुपालन न किये जाने के संबंध में।**

मेसर्स सरोज वड्डे राईस मिल
C/o रूपेश माहेश्वरी
ग्राम–बारगरी जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)
बी.पी. नं. 1006315855
मो.नं. 9826134200 ..... आवेदक/याचिकाकर्त्ता

**विरूद्ध**

1. अधीक्षण यंत्री
   छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या, कांकेर
2. कार्यपालन यंत्री
   छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या, कांकेर
3. कनिष्ठ यंत्री (चारामा)
   छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या, कांकेर ..... अनावेदकगण

प्रारंभिक आदेश

(दिनांक 04/11/2026 को पारित)

याचिकाकर्त्ता मेसर्स सरोज वड्डे राईस मिल C/o रूपेश माहेश्वरी ग्राम–बारगरी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग) अनावेदकगण का निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता है, जिसका संविदा भार 99 के.व्ही.ए तथा सर्विस क्र. 1006315855 है। उक्त कनेक्शन से संबंधित प्रकरण क्र. 21/2024 में विद्युत लोकपाल द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 07/08/2024 का अनुपालन

अनावेदकगणों द्वारा याचिका प्रस्तुत करने के दिनांक तक नही किया गया। अतः यह याचिका संस्थित की गई है।

2. अभिलेख के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :–

दिनांक 01/08/2022 को आवेदक परिसर की जांच सतर्कता जांच दल द्वारा की गई। जांच मे ंबी फेज करेंट मिसिंग पाया गया। मीटर की एम.आर.आई रिपोर्ट के आधार पर सहायक अभियंता (उपसंभाग) चारामा द्वारा बी फेज करेंट मिसिंग के लिए मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक 12 माह की राशि 3,34,951/–रू का अतिरिक्त देयक जारी किया गया। ने विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत) निवारण फोरम, जगदलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका निराकरण फोरम ने प्रकरण क्रमांक जगदलपुर/12/2023 में दिनांक 29/11/2023 को पारित अपने आदेश द्वारा किया, जिसे विद्युत लोकपाल ने प्रकरण क्र. 02/2024 में दिनांक 21/03/2024 को पारित आदेश द्वारा अपास्त कर फोरम को रिमांड किया था। रिमांड के उपरांत फोरम ने उभय पक्षों को सुनकर उक्त प्रकरण में दिनांक 30/04/2024 को पुनः आदेश पारित किया। फोरम के आदेश दिनांक 30/04/2024 के विरूद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण करते हुए विद्युत लोकपाल ने जो आदेश पारित किया है, उसी का अनुपालन न करने के कारण आवेदक ने यह याचिका धारा 142 विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत की है।

3. याचिकाकर्त्ता की याचिका पर अनावेदकगण/उत्तरवादीगण को सूचना पत्र (नोटिस) जारी कर उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उत्तरवादीगण द्वारा दिनांक 10/08/2026 को उत्तर प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 07/08/2024 का पालन कर आवेदक को इसकी जानकारी दे दी गई

थी। अतः याचिकाकर्त्ता द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। विभाग द्वारा किसी भी नियम एवं विनियमों का उल्लंघन नही किया गया है।

4. उत्तरवादीगण के उत्तर दिनांक 10/08/2026 की कंडिका 6 में यह भी कथन किया गया है कि लोकपाल के निर्णय का अनुपालन करते हुये बिल सुधार पश्चात् दिनांक 22/01/2025 को याचिकाकर्त्ता के खाते में राशि 200,992/– का समायोजन किया गया तथा शेष बचत राशि 3,29,880/– रू को उपभोक्ता के संतुष्ट होने पश्चात् ही भुगतान करने को कहा गया। बिल की राशि में सुधार कर राशि का समायोजन एवं उच्च कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त होने में लगे समय के कारण आदेश के अनुपालन में विलंब हुआ।

5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2023 की कंडिका 15.27 एवं 15.28 के प्रावधान नियमानुसार है :–

15.27 अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी करने से 30 दिवसों के भीतर लोकपाल के निर्णय का भली–भांति अनुपालन एवं अमल करेगा।

15.28 लोकपाल के आदेश के अनुपालन में चूक इन विनियमों का उल्लंघन मानी जाएगी तथा आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 142 तथा 146 सहपठित धारा 149 के तहत् कार्यवाही हेतु जिम्मेदार होगी।

6. अभिलेख के अनुसार विद्युत लोकपाल ने अपने आदेश दिनांक 07/08/2024 की कंडिका 26 की उपकंडिका (1) एवं (2) में निम्न आदेश पारित किया है कि :–

1) उत्तरवादीगण द्वारा माह मार्च 2022 में 5 दिनों एवं माह अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक की अवधि हेतु जारी पुनरीक्षित बिल राशि 2,87,284/– रू को अपास्त किया जाकर उत्तरवादीगण को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी परिसर में किये गये निरीक्षण दिनांक 01/8/2022 के अधिकतम 6 माह या वास्तविक समय जब से मीटर सही कार्यरत् नही पाया गया है, जो भी कम हो की अवधि का करते हुये पुनरीक्षित पूरक देयक भुगतान हेतु अपीलार्थी को प्रदान करे।

2) अपीलार्थी को प्रतिकर राशि 2170/– रू दिलाये जाने संबंधी फोरम द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 30/04/2024 के निर्णय की कंडिका 3 की उपकंडिका 2 में पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

7. फोरम के आदेश दिनांक 30/04/2024 के निर्णय की कंडिका की उपकंडिका 2 में जो आदेश किया गया है, उसे अविकल रूप में नीचे उद्धरित किया गया है:–

''आवेदक का मीटर खराब पाये जाने पर मीटर बदले जाने की कुल अवधि में से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम 2020 की अनुसूची I एवं II का अनुलग्नक यथा परफार्मेंस के मानक प्राप्त करने में विफलता पर उपभोक्ता को देय प्रतिकर का स्तर की कंडिका 03 (ख) में इस हेतु निर्धारित समयावधि को घटाकर शेष अवधि को विलंब अवधि मानकर पूर्व के आदेश में की गयी क्षतिपूर्ति राशि की गणना को भी फोरम सही एवं नियमानुसार मानता है।

8. उभय पक्ष के अभिलेखों, प्रस्तुत उत्तर एवं प्रावधानों के आधार पर निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि:–

1. क्या आदेश का अनुपालन उचित ढंग से किया गया है ?

2. क्या आदेश का अनुपालन नियत समयावधि के भीतर किया गया ?

## विवेचना

9. **विचारणीय प्रश्न क्र. 1 पर निष्कर्ष –**

याचिकाकर्त्ता प्रतिनिधि ने लिखित रूप में यह तर्क किया है कि उत्तरवादीगण द्वारा निरीक्षण दिनांक 01/08/2022 से जनवरी 2023 तक की अवधि का बिल किया गया है जो लोकपाल के आदेश की अवमानना है।

10. इसके खंडन में उत्तरवादीगण द्वारा कहा गया कि माननीय लोकपाल के आदेश के अनुसार ही उन्होंने निरीक्षण दिनांक 1 अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक कुल 06 माह का पुनरीक्षित पूरक देयक राशि 1,33,959/– रू का देयक याचिकाकर्त्ता को प्रेषित किया गया है।

11. इस संबंध में लोकपाल महोदय का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि :–

'' ..... अपीलार्थी परिसर में किये गये निरीक्षण दिनांक 01/8/2022 के अधिकतम 6 माह या वास्तविक समय जब से मीटर सही कार्यरत् नही पाया गया है, जो भी कम हो की अवधि का करते हुये पुनरीक्षित पूरक देयक भुगतान हेतु अपीलार्थी को प्रदान करे।''

इस आदेश के अनुसार दिनांक 01/08/2022 के पूर्व के 6 माह या दिनांक 01/08/2022 के पूर्व मीटर खराब रहने की वास्तविक समयावधि जो भी कम हो, का बिल उपभोक्ता को अग्रेषित कर उसकी राशि उपभोक्ता से ली जानी थी परंतु बिल दिनांक 01/08/2022 से लेकर 6 माह की अवधि, जो कि जनवरी 2023 में समाप्त हुई, का जारी किया गया है। यह स्पष्ट रूप से लोकपाल के आदेश का उल्लंधन है।

तथापि इस कृत्य का उपभोक्ता के हित पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 के तत्समय प्रचलित विनियम 9.18 का परिशीलन आवश्यक हैः—

'' 9.18 **बिलिंग का आकलन, उस माह को सम्मिलित करते हुये जिसमें आकलन किया गया हो 6 माह या वास्तविक समय जब से मीटर सही कार्यरत नही पाया गया है जो भी कम हो की अवधि का किय जायेगा तथा मीटर बदलने तक निरंतर जारी रहेगा।**''

उक्त प्रावधान के परिपेक्ष्य में यदि हम उत्तरवादीगण के कृत्य का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि यद्यपि उत्तरवादीगण ने मान. विद्युत लोकपाल के आदेश की गलत व्याख्या कर दिनांक 01/8/2022 के बाद के 6 महीनों का बिल जारी किया है, फिर भी इसका उपभोक्ता के हित पर विपरीत प्रभाव नही पड़ा है क्योंकि विनियम के अनुसार खराब मीटर के लिए आंकलित बिलिंग पैटर्न के अनुसार बिलिंग मीटर बदले जाने तक का की जानी है। मीटर दिनांक 05/4/2023 को बदला गया। अतः यह नही माना जा सकता कि इस गलत व्याख्या से उपभोक्ता के हित पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा। तथापि यह स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण द्वारा लोकपाल के आदेश का अनुपालन उचित ढंग से नही किया गया।

12. **विचारणीय प्रश्न क्र. 2 पर निष्कर्षः—**

याचिकाकर्त्ता प्रतिनिधि का तर्क है कि लोकपाल के आदेश का पालन 30 दिनों के भीतर होना था किंतु उत्तरवादीगण द्वारा 1 वर्ष 11 माह की समयावधि में भी अर्थात याचिका प्रस्तुत करने के दिनांक तक नही किया गया। यह आयोग के उपभोक्ता परिवेदना विनियम 2023 के विनियम 15.27 का स्पष्ट उल्लंघन है।

13. उत्तरवादीगण ने आदेश के अनुपालन में विलंब को स्वीकार कर कथन किया है कि बिल की राशि में सुधार कर राशि का समायोजन एवं उच्च कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त होने में लगे समय के कारण अनुपालन में विलंब हुआ।

14. उपरोक्त अभिलेखों के परिणामस्वरूप यह दर्शित होता है कि उत्तरवादीगण द्वारा लोकपाल के आदेश का उचित ढ़ंग से पालन नही किया गया। अतः उत्तरवादीगण को कारण बताओं नोटिस जारी कर उनसे पूछा जावे कि विद्युत लोकपाल के आदेश का अनुपालन विहित समयावधि के भीतर तथा उचित ढ़ंग से न करने के कारण प्रत्येक पर राशि 5000/– रू का अर्थदंड क्यो न लगाया जावे।

कारण बताओं नोटिस का जवाब दिनांक 11/11/2026 तक आयोग कार्यालय में पेश करे। साथ ही सुनवाई दिनांक 12/11/2026 को अपराह्न 12:00 बजे व्यक्तिगत रूप से आयोग के न्यायालयीन कक्ष में उपस्थित होकर आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

–सही–
**अजय कुमार सिंह**
**सदस्य (तकनीकी)**

–सही–
**विवेक गनोदवाले**
**सदस्य (विधि)**